राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2765/2024

सरपू खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक किशनगढबास, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.09.2024
आदेश की दिनांक : 01.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायबका, किशनगढवास, जिला अलवर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। उनका कथन है कि उक्त आदेश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25ए के विपरीत जाकर जारी किया गया है। अपीलार्थी को बिना कोई ठोस कारण बताये आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो उक्त नियमों के विरूद्ध है। अपीलार्थी की सेवायें हमेशा संतोषजनक रही हैं। उक्त आलोच्य आदेश नियम 25ए में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर जारी नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 04.01.2023 एवं 15.01.2023 जिनके द्वारा

स्थानांतरणों आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बावजूद अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो नियमों एवं निर्देशों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10490/2024 डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 जिसमें ऐसे आदेशों को अनुचित व अवैध माना गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रतिवाद किया है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में एपीओ के माध्यम से इच्छित स्थान पर पदस्थापन प्रदान किये जाने को ही राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी विद्यालय में नमाज पढाने के लिये विद्यालय समय में बाहर भेजना उर्दू विषय हेतु बिना विभागीय अनुमति से मदरसे से मौलाना को नियुक्त कर उर्दू विषय पढवाना और विद्यालय विकास कोष से भुगतान किया जाना सही पाया गया तथा विद्यालय के कार्मिकों के एमएसीपी स्वीकृत किये जाने हेतु राशि प्राप्त करने का तथ्य सामने आया, जिसमें अपीलार्थी को दोषी पाये जाने के कारण एपीओ किया गया है और इस प्रकार आलोच्य आदेश जारी करने में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायबका, किशनगढवास, जिला अलवर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25ए में निम्नलिखित आधारों पर ही कार्मिक को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है :–

"(1) On return from leave. (2) On reversion to parent department from deputation within India. (3) On return from abroad after completion of training or foreign assignment. (4) On return from training within India. (5) Awaiting posting order after making over charge of the old post under the directions of Appointing Authority. (6) Non-acceptance of the officer on transfer to another post. (7) To save a Government servant from reversion."

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10490/2024 डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है :–

"The discussion made above, therefore, clearly shows that the awaiting posting order passed in the present case is not-in conformity with the provisions of law discussed above as neither it discloses any administrative exigency or emergent nature nor appropriate permission from the office of the Hon'ble Chief Minister was obtained before passing the order impugned. Consequently, the writ petition merits acceptance. The same is allowed. The order impugned dated 24.06.2024 (Annex.5) and its consequential relieving order dated 25.06.2024 (Annex.6) are quashed and set aside."

इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2024 उक्त नियमों एवं उक्त न्यायिक विनिश्चय के विपरीत जाकर जारी किया गया है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2024 को अपास्त फरमाया जाता है तथा अपीलार्थी को उसी स्थान पर पदस्थापित रखा जावे जहां आलोच्य आदेश जारी होने से पूर्व कार्यरत था।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष